"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017—— आषाढ़ 13 , शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

अधिसूचना
सं. 18/2017– राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ–10–47/2017/वाक/पांच (91). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना क्रमांक एफ–10–43/2017/वाक/पांच (69) नया रायपुर दिनांक 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

2. उक्त अधिसूचना में,–

(i) अनुसूची I – 2.5 % में क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)
"182क	3102	खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ख	3103	खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182ग	3104	खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182घ	3105	खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट है ; अन्य उर्वरक ; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में, जिनका सकल भार 10 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है";

(ii) अनुसूची II – 6 % में क्रम सं. 66, 67, 68 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्रमांक एफ–10–47/2017/वाक/पांच (91). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–47/2017/वाक/पांच (91), दिनांक 01–07–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 1st Jualy 2017

NOTIFICATION
No.18/2017- State Tax (Rate)

No. F-10- 47/2017/CT/V (91). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. F-10-43/2017/CT/V (69) Naya Raipur, dated the 28th June, 2017, namely:-

2. In the said notification,-

(i) in Schedule I – 2.5%, after serial number 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"182A	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182B	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182C	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182D	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers";

(ii) in Schedule II – 6%, serial numbers 66, 67, 68 and 69 and the entries relating thereto shall be omitted.

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.